पंजाब, हरियाणा से 11,973 मिलियन यूनिट बिजली हिमाचल को मिलेगी

दशकों पुराना बिजली विवाद खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने नकद भुगतान के बजाय बिजली देने का रास्ता चुना

नई दिल्ली/चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं से जुड़े बिजली बकाये के भुगतान को लेकर दशकों से चल रहे अंतरराज्यीय विवाद का निपटारा कर दिया है। अदालत के फैसले के तहत हिमाचल प्रदेश को पंजाब और हरियाणा से 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली मिलेगी। इससे हिमाचल को बड़ी राहत मिली है।

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें नकद के बजाय बिजली के रूप में बकाये का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के अनुरूप होगी, जिसमें भाखड़ा-नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी तय की थी।

अदालत ने कहा कि पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों में हिमाचल को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे। केंद्र के प्रस्ताव में बांधों के निर्माण पर हुए ऐतिहासिक पूंजीगत खर्च के मद में करीब 420 करोड़ रुपये का समायोजन भी किया है। इसके तहत हिमाचल को पंजाब और हरियाणा को कोई भुगतान नहीं करना होगा।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हिमाचल के मूल बिजली बकाये का आकलन 13,066 मिलियन यूनिट किया था। इसमें से करीब 1,093 मिलियन यूनिट बिजली का समायोजन 420.7 करोड़ की पूंजीगत देनदारी के एवज में किया है। इस विवाद के निपटारे के लिए केंद्र ने पहले 15 वर्षों में बकाया बिजली देने का प्रस्ताव रखा था। पंजाब ने शुरुआत में इसका विरोध किया और बाद में भुगतान के लिए 30 साल का समय मांगा। वहीं, हिमाचल चाहता था कि बकाये का भुगतान 10 वर्षों में हो।

क्या है मामला : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के बाद संपत्तियों और बिजली परियोजनाओं में हिस्सेदारी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। हिमाचल ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर, 2011 को फैसला सुनाते हुए भाखड़ा परियोजना में एक नवंबर 1966, देहर परियोजना में नवंबर 1977 और पोंग बांध परियोजना में जनवरी 1978 से हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी तय की थी। 2011 के फैसले के अनुसार परियोजनाओं में पंजाब की हिस्सेदारी 51.80% और हरियाणा की 37.51% थी। चंडीगढ़ की हिस्सेदारी 3.50% तय की थी, जबकि राजस्थान की हिस्सेदारी अप्रभावित थी। एजेंसी/ब्यूरो

हरियाणा को अपने हिस्से की हिमाचल को बिजली धान के सीजन के बाद देनी होगी। साल 2018 में हरियाणा व पंजाब ने संयुक्त प्रस्ताव बनाकर हिमाचल को दिया था कि बिजली बकाये का भुगतान अक्तूबर से मार्च के बीच दिया जाए। हरियाणा ने धान की कटाई के सीजन में अपनी बिजली संबंधी जरूरतों को देखते हुए यह समय निर्धारित करने का सुझाव दिया था। उनका तर्क था कि धान के सीजन में बिजली की मांग अधिक रहती है, इसलिए इस दौरान हिमाचल को बिजली लौटाना मुश्किल होगा। इसके बजाय एक अक्तूबर से 31 मार्च के बीच बिजली देने का प्रस्ताव रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ताजा फैसले में इसी अवधि के दौरान अगले 20 वर्षों तक बिजली बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। वहीं, बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवलोकन करेगी। उसके बाद जो दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर संज्ञान लिया जाएगा। - अनिल विज, ऊर्जा मंत्री

पार्किंग विवाद में पड़ोसी की गोली मारकर हत्या

फरीदाबाद। सेक्टर-21सी में पड़ोसियों के बीच पार्किंग और कुत्ते को शौच कराने को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी 42 वर्षीय परमजीत को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गया। सेक्टर-21सी निवासी दोनों पड़ोसियों में पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि कुत्ते को शौच कराने और गाड़ी की पार्किंग को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। इसी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया और एक पड़ोसी ने परमजीत पर गोली चला दी। गोली लगने से परमजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बचाने के प्रयास किए गए लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सूरजकुंड थाना एसएचओ प्रहलाद ने हत्या की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस को लिखित शिकायत मिलने का इंतजार है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की तलाश भी की जा रही है। ब्यूरो

सेकेंडरी (शैक्षिक) मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा परिणाम घोषित

भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को सेकेंडरी (शैक्षिक) और मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। सितंबर-अक्तूबर में आयोजित परीक्षाओं में शैक्षिक का परिणाम 66.16 और मुक्त विद्यालय परीक्षा का 47.74 प्रतिशत रहा है। शैक्षिक परीक्षा में हिसार 87.19 प्रतिशत परिणाम के साथ प्रदेश में पहले जबकि सोनीपत 38.18 प्रतिशत के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. शंकरलाल धूपड़ ने बताया कि सेकेंडरी (शैक्षिक) पूरक परीक्षा में 7908 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 5232 पास हुए, 2431 की कंपार्टमेंट और 245 की एसेंशियल रिपीट घोषित की है। परीक्षा में प्रविष्ट 4845 छात्रों में से 3192 पास हुए हैं। इस लिहाज से उत्तीर्ण प्रतिशत 65.88 रहा। परीक्षा में प्रविष्ट 3063 छात्राओं में से 2040 उत्तीर्ण हुई। इनका पास प्रतिशत 66.60 रहा। मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा में 7407 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे। इनमें से 3536 उत्तीर्ण हुए और 3871 विद्यार्थियों की री अपीयर आई है। परीक्षा में शामिल 2934 छात्राओं में से 1439 पास हुईं। इनका पास प्रतिशत 49.05 रहा।

बोर्ड सचिव बाबूलाल करवा ने बताया कि परीक्षार्थी परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक उत्तरपुस्तिका की पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। संवाद

मनोरंजन, सिनेमा की हर खबर
amarujala.com पर

फ्लैट नं./सर्म्पत्ति आई.डी.1KCCT8K7 जो गोयल नगर में स्थित है। नगर निगम यमुनानगर के मूलकर रिकार्ड में कौरा रानी पत्नी सुभाष चन्द के नाम दर्ज है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार कौरा रानी की मृत्यु दिनांक 08.01.2020 को व सुभाष चन्द पुत्र नंद सिंह दास की 27.11.2021 को हो चुकी है। इस सम्पत्ति के कानूनी वारसान कपिल मोहन, इंतिश मल्होत्रा, तरुण मल्होत्रा पुत्र स्व. कौरा रानी पत्नी स्व. सुभाष चन्द ने वसीयत के आधार पर मूलकर रिकार्ड में अपना नाम इन्द्राज करने बारे आवेदन किया है। अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार प्रॉपर्टी टैक्स रिकार्ड में इन्द्राज करने बारे एतराज हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर-अन्दर नगरनिगम कार्यालय में आवेदन अपने पक्ष में सम्बंधित दस्तावेज सहित कर सकता है। इस अवधि के पश्चात कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, यमुनानगर जगाधरी।

कार्यालय नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी
यूनिट नं. / सर्म्पत्ति आई डी नं 1KE64446 जो पटेल नगर में स्थित है। नगर निगम यमुनानगर के मूलकर रिकार्ड में राम कुमार के नाम दर्ज है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार कुन्ती देवी पत्नी मनोहर लाल की मृत्यु 16.10.18 को हो चुकी है। अब इस सम्पत्ति के कानूनी वारसान सर्व करुना सूद पत्नी राज कुमार (50 वर्षनज), स्नेहा रानी पत्नी संदीप कुमार (50 वर्षनज) ने वारसान रिकार्ड के आधार पर मूलकर रिकार्ड में अपना नाम इंद्राज करने बारे आवेदन किया है। अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अनुसार मूलकर रिकार्ड में इंद्राज करने/ मालकीयत बदलने बारे कोई एतराज हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर-अंदर नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इस अवधि के पश्चात कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। मेहर करता औरत, नगर निगम, यमुनानगर जगाधरी

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।
दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टेलीफैक्स: 0135-2662251, 2662257 E-mail: sec-uttarakhand@uk.gov.in

निर्वाचन संख्या-1020/रा.नि.आ.-स्टोर/4720/2026 दिनांक: 06.11.2026

ई-निविदा के नियम, निर्देश एवं शर्तें

भाग-क-राज्य निर्वाचन आयोग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून में Nature of work (कार्य की प्रकृति) के आधार पर गार्डों (सुरक्षा कर्मियों) रखे जाने हेतु ई. निविदा का विवरण

राज्य निर्वाचन आयोग, मसूरी बाईपास रिंग रोड, देहरादून में Nature of work (कार्य की प्रकृति) के आधार पर गार्डों (सुरक्षा कर्मियों) रखे जाने हेतु ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाईन (online) तकनीकि बिड (Technical Bid) एवं वित्तीय बिड (Financial Bid) निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
1.	वेबसाइट http://www.uktenders.gov.in पर निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	06 नवंबर 2026
2.	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को ऑनलाईन अपलोड करने की तिथि	06 नवंबर 2026 से 19 नवंबर 2026 सायं 05.00 बजे तक
3.	निम्नलिखित को तीन पृथक-पृथक लिफाफों में सील करके तथा तीनों को एक लिफाफे में सील कर आयोग मुख्यालय में उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि • निविदा आवेदन पत्र शुल्क • अर्नेस्ट मनी (EMD) • तकनीकी बिड एवं उससे संबंधित समस्त अभिलेख।	19 नवंबर 2026 सायं 05.00 बजे तक
4.	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	20 नवंबर 2026 प्रातः 11.00 बजे
5.	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड के परीक्षणोपरांत
6.	निविदा आवेदन पत्र शुल्क	रुपये 1000.00

(राहुल कुमार गोयल) सचिव

हरियाणा सरकार — शुद्धि पत्र

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	पुराना संदर्भ/एनआईटी संख्या	शुद्धि पत्र का स्वरूप	बोर्ड/निगम प्राधि की वेबसाईट	मोहन अधिकारी/संपर्क जानकारी/ईमेल
1	एचवीपीएनएल	01/CAO/A&R/TEN-OER/001	"शुद्धिपत्र/कोरिगेंडम की ऑनलाईन जमा करने की तिथि में शिफ्ट 17.11.2026 को 17:00 बजे तक एवं खोलने की तिथि 23.11.26 "	www.hvpn.org.in	0172-2583789 PRO@HVPN.ORG.IN
2	एचवीपीएनएल	QDP-1509(NIT NO.1389 DATED 08.09.2026)	ऑनलाईन बोली जमा करने की अंतिम तिथि को 27.11.2026 को 17:00 बजे तक विस्तारित किया गया है।	www.hvpn.org.in	0172-2583789 PRO@HVPN.ORG.IN

अंतिम जानकारी हेतु कृपया वेबसाईट www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in पर जाएं।
PRDH:-13/2027/40/50864/I/1/6 Dt 06/11/2026

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-II चंडीगढ़
एस.सी.ओ. 33-34-35 सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़-160017

आरसी सं. 691/2018 नीलामी बिक्री की तिथि - 14.12.2026

बिक्री की घोषणा

समय-समय पर संशोधित अनुसार बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियमों 37, 38 एवं 52(1), (2) के तहत बिक्री की घोषणा।

पंजाब नैशनल बैंक
बनाम
राजीव दुआ

(मोर्टी 1) श्री राजीव दुआ पुत्र श्री सोहन लाल दुआ निवासी मकान सं. 1420, मलोया कॉलोनी, जगाधरी, जिला यमुनानगर

1. चूंकि वसूली प्रमाणपत्र अर्थात आरसी सं. 691/2018 ओ.ए. सं. 688/2017 में राशि रु. 16,88,773.95 रुपये की वसूली 16.04.2015 से उक्त राशि की वसूली तक सर्टिफिकेट डेटर से आवेदक बैंक/सर्टिफिकेट होल्डर को देय राशि की वसूली हेतु @12% पी.ए. वर्तमान एवं भावी साधारण दर पर ब्याज सहित राशि व लागत की वसूली हेतु संयुक्त रूप से तथा अलग-2 जारी किया गया था।
2. चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की संतुष्टि के प्रति यहां अनुसूचि में निर्दिष्ट अनुसार प्रमाणपत्र डेटर(ओं) की देय रखी गई/संलग्न सम्पत्तियों की बिक्री का आदेश दिया है। एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि स्थगन के किसी भी आदेश के न होने पर, कथित सम्पत्तियों को 14.12.2026 को अप. 14.00 बजे से अप. 15.00 बजे के मध्य आयोजित की जाने वाली नीलामी द्वारा बेचा जाएगा तथा यह बोली वेबसाईट : https://www.bankeauctions.com द्वारा ऑनलाईन आयोजित होगी।
3. नीलामी सेवा प्रदाता हेतु अधिकृत किए जाने वाले व्यक्ति की जानकारी है नाम: श्री मिथलेश कुमार-सहायक प्रबंधक, www.c1 india.com प्लॉट नं. 68, तीसरा तल, सेक्टर -44, गुड़गांव- 122003, हरियाणा (इंडिया) वेबसाईट- https://www.bankeauctions.com Direct: 0124-4302000 Mobile: + 917080804466 E-mail:delhi@c1india.com C1 India: 2nd mail I'd -mithalesh.kunmar@c1india.com
4. नीलामी सेवा प्रदाता हेतु अधिकृत बैंक अधिकारी की जानकारी है, नाम: श्री विशाल, प्रबंधक मोबाईल नंबर (89305-95759), ईमेल आईडी : coknlsamd@pnb.bank.in.)
5. बिक्री निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार उपरोक्त नामों के प्रतिवादियों/सौदेज की संपत्ति की होगी तथा कथित संपत्तियों को संलग्न करने हेतु दावे एवं देनदारियां जो अभी तक निश्चित किये गये हैं, जो कि प्रत्येक लॉट के प्रति अनुसूची में निर्दिष्ट है।
6. संपत्ति अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री हेतु रखी जाएगी। अगर वसूली जाने वाली राशि संपत्ति के बिक्री भाव द्वारा पूरी हो जाती है, बिक्री शेष/सम्पत्ति के संबंध में तुरंत रोक दी जाएगी। बिक्री उस समय भी रोक दी जाएगी अगर कोई लॉट/बिक्री संचालित करा रहे अधिकारी को निर्धारित कथित प्रमाणपत्र- ब्याज, लागतें (बिक्री की लागत सहित) में निर्दिष्ट भुगतान नॉक डाउन की जाती है अथवा इस संतुष्टि पर प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागतें की राशि अधोहस्ताक्षरी को भुगतान कर दी गई है।
7. बिक्री, आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों एवं इसके अधीन बने नियमों एवं निम्न अतिरिक्त शर्तों के विषय में होगी।
   I. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सूचना के अनुसार दिये गये हैं परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, चूक कथन अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
   II. आरक्षित कीमत जिससे नीचे संपत्ति को नहीं बेचा जाएगा यह अनुसूची में निर्दिष्ट है।
   III. राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी, उसका निर्णय बिक्री संचालित कर रहे अधिकारी द्वारा किया जाएगा। बोली राशि अथवा बोलीदाता के रूप में उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में लॉट तुरंत नीलामी के लिए पुनः रखा जाएगा अथवा रद्द किया जा सकता है।
   IV. उच्चतम बोलीदाता को प्रायमनित कोई भी लॉट का खरीददार घोषित किया जाएगा बशर्ते वह बोली करने हेतु कानूनी रूप से योग्य है तथा बशर्ते कि वह उसके द्वारा की गई बोली राशि आरक्षित कीमत से कम न हो। यह अधोहस्ताक्षरी के विशेषाधिकार में होगा कि वह उच्चतम बोली को स्वीकार अथवा निरस्त कर सकता है। अथ प्रस्तावित कीमत स्थगित अस्वीकृत लगे जैसे कि यह करना ठीक नहीं होगा।
   V. प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता को आर.ओ. के पास **वसूली अधिकारी-I (डीआरटी-2) चंडीगढ़ खाता आरसी. सं. - 691/2018** के पक्ष में डीडी/पे-आर्डर के द्वारा 11.12.2026 **को 17:00 बजे तक धरोहर राशि जमा (ईएमडी)** का भुगतान करना होगा और उसे संपत्ति की विस्तृत जानकारी के साथ पेन कार्ड, पता प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा कंपनी की स्थिति में कंपनी के अटॉर्नी/उसके प्रतिवेदन को पुष्ट करने वाला अन्य दस्तावेज तथा ईएमडी जमा करवाए होने की रसीद/काउंटर फाइल बोली शुरू होने से पहले नीलामी संचालित करने वाले अधिकारी के पास यह जानकारी जमा करवानी होगी। इसके बाद जमा करवाई गई ईएमडी नीलामी में भागीदारी हेतु योग्य नहीं मानी जाएगी।

धरोहर राशि जमा (ईएमडी), आरक्षित मूल्य व बोली वृद्धि राशि निम्नानुसार तय है-

सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित कीमत	ईएमडी	वृद्धि
1.	दिनांक 04.01.2008 को स्वीकृत म्यूटेशन नं. 419 व 420 के साथ पठित जमाबंदी वर्ष 2002-2003 के द्वारा गांव सिंहपुरा एचबी नं. 205, तह. छछरौली, जिला यमुना नगर में स्थित खेवत नं. 61/53, खतौनी नं. 79 व 80 खसरा नं. 8//21(8-0), 18//2 (6-16), 3 (7-7), 8 (6-4),-28k-7M, 18//9 (4-8)-32k-15M में 32के-15एम में से 11/32 भाग अर्थात 11के-05एम माप की भूमि।	Rs. 24,48,000/-	Rs. 2,44,800/-	Rs. 50,000/-

8. निरीक्षण तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त ईएमडी रद्द कर दी जाएगी तथा ईएमडी के लिए भुगतान की गई राशि पुनः ई-नीलामी प्रपत्र में उनके द्वारा दिये गए विकल्प के द्वारा वापिस दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो बोली प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है उसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। बोलीदाता की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह कथित डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करें, एक्टिव ई-मेल आईडी एवं एक कंप्यूटर टर्मिनल/सिस्टम साथ में इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करें जो कि उसे बोली में भाग लेने हेतु समर्थ बना सकें। ऑनलाईन बोली प्रक्रिया के दौरान डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एवं कनेक्टिविटी के संबंध में कोई भी परेशानी होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. अगर बोली नीलामी के दिये गए समय में अंतिम पांच मिनट में बढ़ाई जाती है तब नीलामी समय अन्य बोलीदाताओं को उनकी बोलियां बढ़ाने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु पांच मिनट के अतिरिक्त समय द्वारा बढ़ा दिया जाएगा तथा नीलामी प्रक्रिया उस समय बंद की जाएगी जब पांच मिनट के विस्तारित समय में कोई अन्य वृद्धि नहीं की जाती है। चल/अचल संपत्तियों की स्थिति में प्रत्येक लॉट की कीमत बिक्री के समय भुगतान की जाएगी अथवा इसके तुरंत बाद जमा कराई जाएगी जैसे कि अधिकारी जो बिक्री करा रहा है निर्देशित करता है तथा अदायगी न होने पर संपत्ति को पुनः बिक्री के लिए नीलामी हेतु पुनः रखा जाएगा।
10. सफल/उच्चतम बोलीदाता को उपरोक्त निर्दिष्ट विवरणेनुसार कथित खाता/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/पे-आर्डर में अगले दिन तक ईएमडी को समायोजित करने के पश्चात बिक्री प्रक्रिया का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। अगर अगले दिन अवकाश होता है अथवा रविवार होता है तब इसका अगला पहला कार्यदिवस होगा।
11. उच्चतम बोलीदार/खरीददार को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन को अथवा उससे पहले, इसमें ऐसा दिन अनन्य होगा अथवा अगर 15वें दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश होता है तब उपरोक्त दिये गए अनुसार निर्धारित मोड द्वारा 15वें दिन के बाद पहला कार्यदिवस पर बिक्री राशि का शेष 75 प्रतिशत जमा कराना होगा।

उपरोक्त के साथ-साथ उच्चतम बोलीदार को रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़ के पक्ष में डीडी द्वारा **वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़ के पास पांउंडेज शुल्क** @ 2% की दर से 1,000/- रुपये तक तथा शेष बिक्री राशि पर @1% की दर से शुल्क भी जमा कराना होगा।

12. निर्धारित अवधि के अंदर अदायगी न करने पर जमा राशि बिक्री के खर्चे को चुकाने के पश्चात, अगर अधोहस्ताक्षरी ठीक समझता है तो वह सरकार के पास जब्त कर दी जाएगी तथा चूककर्ता खरीददार के संपत्ति अथवा राशि के किसी भी भाग, जिस हेतु अनुबंधी में वह बेची जाएगी उसके सभी दावे जब्त कर लिये जाएंगे। संपत्ति को बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के पश्चात पुनः बेचा जाएगा।
13. उच्चतम बोलीदाता की संपत्ति पर कोई भी अधिकार/टाईटल तब तक नहीं होगा जब तक कि बिक्री को पुष्टि **वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)** द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है।
14. प्रत्याशित खरीददार साईट का निरीक्षण कर सकता है तथा राजस्व रिकोर्ड के आधार संपत्ति की जानकारी को सत्यापित कर सकता है। और इसके लिए सारी सहायता इस हेतु संपर्क किए जाने पर स्थानीय आयुक्त द्वारा प्रदान की जाएगी।
15. **वसूली अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़** किसी भी चरण में नीलामी प्रक्रिया से सम्पत्ति के किसी भी भाग को वापस लेने अथवा किसी भाग को जोड़ने के लिए सशक्त है।
16. असफल बोलीदार ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति पर तुरंत **वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, चंडीगढ़/सीएच बैंक** के कार्यालय से सीधे ईएमडी लेगा। ई-नीलामी ईएमडी प्रपत्र के साथ भेजी गई फोटो कॉपी की मूल आईडी प्रमाण भी साथ लाना होगा। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं देय होगी।
17. ई-नीलामी ईएमडी प्रपत्र में निर्दिष्ट नामों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नामों के बिक्री प्रमाणपत्र में कोई भी सम्मावेशन/प्रतिस्थापन हेतु निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक कि यह वसूली अधिकारी-I की संतुष्टि हेतु तथा पूर्णतः तर्कसंगत न हो।
18. अगर बिक्री के लिए एक से अधिक संपत्ति रखी होती है तब ऐसे संपत्तियों की बिक्री सुविधानुसार होगी तथा कथित बिक्री सूचना में निर्दिष्ट अनुसार क्रमवार करने के लिए बाध्य नहीं है।
19. एनआरआई बोलीदाता इंडियन मिशन (दूतावास) द्वारा विधिवत पृष्ठांकित अपनी बोली को रूट करेंगे एवं अपने पासपोर्ट के फोटो पेज की प्रति अवश्य संलग्न करेंगे। चल/अचल संपत्ति **जैसे है जहां है के आधार पर "जैसे है जो है जो कुछ भी वहां है"** तथा नो रिकोर्स आधार बेची जा रही है तथा वह निष्कानुसार प्रकाशन शुल्क, राजस्व एवं अन्य ऋणभारों के विषय में होगी।
20. अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोलियों, अगर वे अनुचित पाते हैं तो स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अथवा किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

बिक्री की इस उद्घोषणा का विवरण वेबसाईट www.drt.gov.in. में देखा जा सकता है।

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	संपत्ति या इसके भाग पर मूल्यांकित राजस्व	किसी ऋणभार की जानकारी जो संपत्ति पर देय है	तथा यदि कोई है, जोकि संपत्ति पर अक्षेपित किया गया है
1.	दिनांक 04.01.2008 को स्वीकृत म्यूटेशन नं. 419 व 420 के साथ पठित जमाबंदी वर्ष 2002-2003 के द्वारा गांव सिंहपुरा एचबी नं. 205, तह. छछरौली, जिला यमुना नगर में स्थित खेवत नं. 61/53, खतौनी नं. 79 व 80 खसरा नं. 8//21(8-0), 18//2 (6-16), 3 (7-7), 8 (6-4),-28k-7M, 18//9 (4-8)-32k-15M में 32के-15एम में से 11/32 भाग अर्थात 11के-05एम माप की भूमि।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

नोट : संपत्ति को **"जैसे है जहां है के आधार पर"** एवं जैसे है जो है के आधार पर बेचा जा रहा है एवं नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले प्रत्याशित खरीददारों को यह सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति का निरीक्षण कर लें एवं **परिशिष्ट 'ए'** के रूप में इसके साथ संलग्न नीलामी की सामान्य नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

अधिकतम प्रतिस्पर्धिता सुनिश्चित करने हेतु प्रमाणपत्र धारक बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संपत्तियों के निरीक्षण हेतु किसी भी संभावित बोलीदाताओं द्वारा निवेदन पर तुरंत कार्य करें। तथापि किसी भी समस्या की स्थिति में प्रत्याशित बोलीदाता ई-मेल: drt2chandigarh-dfs@nic.in द्वारा इस कार्यालय को संपर्क कर सकता है।

दिनांक 08.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर के तहत दी गई।

वसूली अधिकारी-I
डीआरटी-II, चंडीगढ़

इचलकरंजी महानगरपालिका, इचलकरंजी
ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर
जाहीर ई निविदा सूचना क्र.१/२०२६-२०२७

पाणी पुरवठा विभागाकडील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत आमदार स्थानिक निधी सन २०२६-२७ देखभाल दुरुस्तीच्या कामांची जाहीर ई निविदा क्रं.१/२०२६-२७ www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दि.७/११/२०२६ रोजी स.११.०० वाजले पासुन प्रसिध्द करणेत येत आहे. सविस्तर जाहिरात www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सही/-
अति. आयुक्त
इचलकरंजी महानगरपालिका

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
नैक द्वारा 'ए' ग्रेड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
महेंद्रगढ़ - 123031 (हरियाणा)

SC & OBC उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क UPSC/HCS कोचिंग

डॉ. अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (DACE), हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ द्वारा SC और OBC उम्मीदवारों से सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित सभी उम्मीदवारों को प्रति माह रुपए 4,000 की वजीफा (Stipend) भी दिया जाएगा। योजना से सम्बंधित जानकारी वेबसाइट (https://www.cuh.ac.in) पर उपलब्ध है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है।

Scan to Apply

कार्यक्रम समन्वयक, DACE

Kalyan Singh Super Speciality Cancer Institute
C.G. City, Sultanpur Road, Lucknow-(226002)
Website: https://cancerinstitute.edu.in , Email: jdmm.sscih@gmail.com

TENDER NOTICE

1. **GEM/2026/B/8187245 dated: 05.11.2026** for the item-**Micro Bipolar Cautery Forceps, 2. GEM/2026/B/8167042 dated: 05.11.2026** for the item-**Neuro Bio Feed Back, 3. GEM/2026/B/8218778 dated: 05.11.2026** for the item-**Surgical Workstation (PAC item), 4. GEM/2026/B/8218712 dated: 05.11.2026** for the item- **High End EV Workstation (PAC item).**

Offers are invited from Original Equipment manufacturers/Direct Importers/Authorized Distributors (declared by principal firm only) for the supply & installation of aforementioned Equipment/items. **Bidders should submit their Representation only on GeM Portal regarding Equipment/ items** within time frame provided by GeM.

For more detailed information you may please visit the GeM Portal **www.gem.gov.in** or our website **https://cancerinstitute.edu.in.** for reference only. The Director reserves the right to accept or reject any tender in part or full without assigning any reason thereof.

Advt No:- KSSSCI/Tender-22/2026-27 DIRECTOR

नगर निगम चंडीगढ़
ई-निविदा सूचना

क्र. सं.	कार्य का नाम	बोली प्रस्तुतिकरण अनुसूची (ऑनलाईन)	तकनीकी बोली खोलना (ऑनलाईन)
अधिशासी अभियंता - सड़क मंडल सं. 3			
1.	गांव रामपुर कलां चंडीगढ़ में गऊशाला के समीप अस्थायी काऊ शैड का निर्माण। कैपिटल हैड :- गऊशाला का विकास/निर्माण अनु. लागत : 231.51 लाख रु. धरोहर राशि : 4,63,040/- रु. समय सीमा : 09 माह	05.11.2026 से 12.11.2026 को दोपहर 12.00 बजे	12.11.2026 को अप. 13.00 बजे

नोट: 1) विस्तृत शर्तों व नियमों के साथ निविदा सूचना को वेबसाईट **www.chandigarh.gov.in or etenders.chd.nic.in** पर उपलब्ध/अपलोड किया गया है।

अधिशासी अभियंता
सड़क मंडल सं. 3, कमरा सं. 311, एच.सी. चंडीगढ़ फोन. 0172-5021482 xenroad3.mcc@chd.nic.in

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, रूद्रप्रयाग

पत्रांक: 2102/सि0का0म0रू0/ई-निविदा/ दिनांक: 06.11.2026

ई-निविदा सूचना संख्या-16/अधी० अभि0/2026-27 दिनांक 06.11.2026

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, रूद्रप्रयाग द्वारा निम्न कार्य निर्माण हेतु टू-बिड सिस्टम के अन्तर्गत ई-टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

1- Construction of Storm Water Drainage of Rudraprayag Town, Distt. Rudraprayag (Phase-1)

निविदा से सम्बन्धित सभी सूचनाएँ एवं निविदा-बिड प्रपत